R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 7 ♦ जनवरी 31, 2019

बैंकिंग विनियमन

एमएसएमई क्षेत्र के लिए अग्रिमों का पुनर्गठन

रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2019 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अग्रिमों के पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई को मौजूदा ऋणों के बिना नीचली ओर के आस्ति वर्गीकरण किए उधारकर्ता को एक बार पुनर्गठन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो 1 जनवरी 2019 तक डिफ़ॉल्ट में हैं पर 'मानक' हैं। योजना के लिए पात्र होने के लिए, उधारकर्ता के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल ऋणग्रस्तता, 1 जनवरी 2019 तक ₹250 मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2020 तक पुनर्गठन को कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत पुनर्गठित खातों के संबंध में पहले से ही धारित प्रावधानों के अतिरिक्त 5% का प्रावधान किया जाएगा । प्रत्येक बैंक / एनबीएफसी को बोर्ड के अनुमोदन से इस योजना के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ, दबावग्रस्त खातों की व्यवहार्यता के मूल्यांकन और पुनर्गठन खातों की नियमित निगरानी के लिए रूपरेखा शामिल हो। इसके अलावा, इन खातों का पुनर्गठन, एनपीए का वर्गीकरण मौजूदा आय मान्यता वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों के अनुसार होगा। बैंकों और एनबीएफसी को अपने वित्तीय वक्तव्यों में उचित खुलासे करने की आवश्यकता है। एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन के लिए लागू अन्य सभी निर्देश लागू होते रहेंगे।

दिशानिर्देश एमएसएमई खातों के एक सार्थक पुनर्गठन की सुविधा के उद्देश्य से जारी किए गए थे जो तनावग्रस्त हो गए हैं। एमएसएमई खातों के पुनर्गठन के मुद्दे पर 19 नवंबर 2018 को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई थी। इस मामले में आरबीआई द्वारा हाल ही में बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान भी चर्चा की गई थी। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45879)

बासल III पूंजी विनियमावली

रिज़र्व बैंक ने 10 जनवरी 2019 को पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625% की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, भाग घ 'पूंजी संरक्षण बफर संरचन' के पैरा 15.2.2 में 31 मार्च 2018 से लागू न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात 31 मार्च 2019 से भी लागू रहेगा और 31 मार्च, 2020 को सीसीबी के 2.5% का स्तर प्राप्त करने तक लागू रहेगा। साथ ही, अतिरिक्त टियर 1 लिखतों (पीएनसीपीएस तथा पीडीआई) पर संपरिवर्तन/राइट-डाउन के माध्यम से पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर हानि अवशोषण जोखिम भारित आस्तियों के 5.5% पर बना रहेगा और 31 मार्च 2020 को जोखिम भारित आस्तियों के 6.125% तक बढ़ जाएगा। विवरण 'बासल III पूंजी विनियमावली' पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के पैरा 4.5 'संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं', भाग घ 'पूंजी संरक्षण बफर संरचन' के पैरा 15.2.2 तथा अनुबंध 16 के पैरा 2.3 पर उपलब्ध हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9859)

ब्याज समतुल्यीकरण योजना

रिज़र्व बैंक ने 11 जनवरी 2019 को, पोत-लदान पूर्व और पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत, 2 जनवरी 2019 से प्रभावी रूप में, व्यापारी निर्यातकों को योजना के अंतर्गत पहचाने गए 416 टैरिफ लाइनों के तहत कवर किए गए उत्पादों के निर्यात के संबंध में ऋण पर 3% दर पर ब्याज समतुल्यीकरण की अनुमति दी। उपर्युक्त योजना के परिचालनगत दिशानिर्देश पोत-लदान पूर्व तथा पोत-लदान पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। (https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Mode=0&Id=10159); (https://rbi.org.in/scripts NotificationUser.aspx?Mode=0&Id=10281) and(https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Mode=0&Id=11421)

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने 9 जनवरी 2019 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22 अक्तूबर 2015 की भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं. बैंविवि.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में तत्काल प्रभाव से संशोधन किए है। संशोधित योजना के अनुसार 'जमा करने के लिए पात्र व्यक्ति निवासी भारतीय [व्यक्ति, हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ), स्वामित्व और भागीदारी फर्में, न्यास जिसमें सेबी (म्युचुअल फंड) विनियमन के अंतर्गत पंजीकृत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड/म्यूचुअल फंड शामिल हैं, कंपनियां, धर्मार्थ न्यास, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कोई अन्य संस्था] योजना के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। योजना के अधीन दो या अधिक पात्र जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से जमा करने की भी अनुमति है तथा ऐसे मामलों में जमाओं को ऐसे जमाकर्ताओं के नाम से खोले गए संयुक्त जमा खाते में जमा किया जाएगा। बैंक जमा खातों में संयुक्त परिचालन के संबंध में नामांकन सहित मौजूदा नियम इन स्वर्ण जमाओं पर भी लागू होंगे।' (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10084&Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

कार्ड लेनदेन का टोकनाइजेशन

रिजर्व बैंक ने 8 जनवरी 2019 को देश में भुगतान प्रणाली की रक्षा और सुरक्षितता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास के तहत डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड कार्ड लेन-देन के लिए टोकन जारी करने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश, दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन, किसी भी टोकन

अनुरोधकर्ता (तृतीय पक्ष ऐप प्रदाता) को कार्ड टोकन सेवाओं की पेशकश करने के लिए अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क की अनुमति देते हैं। फिलहाल यह सुविधा केवल मोबाइल फोन और टैबलेट के माध्यम से उपलब्ध होगी और अन्य उपकरणों के लिए इस सुविधा के विस्तार की पेशकश जांच बाद में की जाएगी। अधिप्रमाणन के लिए अतिरिक्त फैक्टर (एएफए) / पिन प्रविष्टि के लिए जनादेश सहित कार्ड लेनदेन की रक्षा और सुरक्षितता पर रिज़र्व बैंक के सभी प्रचलित निर्देश, टोकन कार्ड लेनदेन के लिए भी लागू रहेंगे। प्रदान की गई कार्ड टोकन सेवाओं की अंतिम जिम्मेदारी संबंधित अधिकृत कार्ड नेटवर्क की होगी। भुगतान कार्ड नेटवर्क संचालकों को एक तंत्र स्थापित करना होगा ताकि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीइआरटी-इन) के लेखा परीक्षकों के पैनल द्वारा प्रणाली की आवधिक लेखा परीक्षा की जाएं और लेखा प्रणाली (सिस्टम ऑडिट) संबंधित आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाए। टोकन जारी करने (टोकनाइजेशन) में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें एक विशिष्ट टोकन में संवेदनशील कार्ड विवरण छिपे हुए होते हैं। इससे, बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड भुगतानों आदि पर वास्तविक कार्ड विवरण के बदले में, इस टोकन का उपयोग संपर्क रहित मोड में कार्ड लेनदेन करने के लिए किया जाता है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। (https://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Mode=0&Id=11449)

नई खुदरा भुगतान प्रणालियों पर नीति पत्र

रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2019 को 'नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के प्राधिकार' शीर्षक से अपनी वेबसाइट पर आम जनता की टिप्पणियों के लिए नीति पत्र उपलब्ध कराया है। रिज़र्व बैंक ने सभी स्टेकधारकों और आम जनता से 20 फरवरी 2019 तक नीति पत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की है। टिप्पणियां डाक के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को भेजी जा सकती हैं या dpssfeedbackrbi.org.in पर ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा सकती है।

दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2018-19 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय भुगतान मंचों में भागीदारी करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा तथा 30 सितंबर 2018 तक आम जनता के परामर्श के लिए नीति पत्र लाएगा। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता दृष्टिकोण से खुदरा भुगतान बाजार में संकेंद्रण जोखिम को कम करना और नवोन्मेष तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। (https://rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=918)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

नया बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कारोबार की सहजता में और सुधार करने के लिए 16 जनवरी 2019 को बाह्य वाणिज्यिक उधार मानदंडों को अधिक सरल बनाया। तदनुसार ईसीबी के लिए नया ढांचा तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।

नए ईसीबी ढांचे की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

(i) 'ट्रैक का विलय: ट्रैक I और II का ''विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गांकित ईसीबी'' के रूप में आमेलन और ट्रैक III तथा रुपया मूल्यवर्गांकित बॉन्ड ढांचे का ''रुपया मूल्यवर्गांकित ईसीबी'' के रूप में आमेलन। पहले की क्षेत्र-वार सीमाओं के विरूद्ध उधार की 750 मिलियन डॉलर की एकरूप उच्चतम सीमा।

(ii) पात्र उधारकर्ता: इसमें एफडीआई प्राप्त करने के लिए सभी पात्र संस्थाओं को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त पोर्ट ट्रस्ट, एसईजेड में यूनिटें, एग्जिम बैंक, सूक्ष्म-वित्त गतिविधियों में लगी पंजीकृत संस्थाएं अर्थात जो लाभ कंपनियों के लिए पंजीकृत नहीं हैं, पंजीकृत सोसाइटियां/ट्रस्ट/सहकारी सोसाइटियां और गैर-सरकारी संगठन भी इस ढांचे के अंतर्गत उधार ले सकते हैं।

(iii) मान्यताप्राप्त ऋणदाता: ऋणदाता वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन (आईओएससीओ) अनुपालित देश का निवासी होना चाहिए। बहु-स्तरीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाएं, व्यक्ति और भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं/सहायक संस्थाएं भी ऋणदाता हो सकते हैं।

(iv) न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि (एमएएमपी): सभी ईसीबी के लिए एमएएमपी 3 वर्ष होगी। तथापि, विदेशी इक्विटी धारक से जुटाई गई तथा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई ईसीबी के लिए, एमएएमपी 5 वर्ष की होगी। इसी प्रकार, विनिर्माण क्षेत्र, जिसे विशिष्ट वितरण दिया गया है, द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक जुटाई गई ईसीबी के लिए एमएएमपी 1 वर्ष की होगी।

(v) रिपोर्टिंग में देरी होने पर विलंब प्रस्तुति शुल्क: कोई भी उधारकर्ता जिसने एलआरएन या फार्म ईसीबी 2 रिटर्न प्राप्त करने से पहले ईसीबी लाभ में कमी की रिपोर्टिंग में देरी को छोड़कर, ईसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया हो, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एलएसएफ का भुगतान करके देरी को नियमित कर सकता है। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46031)

समितियां

एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति

रिज़र्व बैंक ने, 5 दिसंबर 2018 को 2018-19 के लिए पांचवे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार 2 जनवरी 2019 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष श्री यू.के. सिन्हा,पूर्व अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड हैं। अन्य सदस्यों में शामिल हैं श्री राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव, विकास आयुक्त एमएसएमई, श्री पंकज जैन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री पी.के. गुप्ता,प्रबंध निदेशक, एसबीआई, श्री अनुप बागची,कार्यपालक निदेशक, आईसीआईसीआई बैंक, श्री अभिमान दास,प्रोफेसर, आईआईएम-अहमदाबाद, श्री शरद शर्मा,सह-संस्थापक, आइएसपीआईआरटी फाउंडेशन और सुश्री बिन्दु अनंत,अध्यक्ष, दवारा ट्रस्ट्। समिति एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए वर्तमान संस्थागत ढांचे की समीक्षा करेगी; क्षेत्र पर हाल के आर्थिक सुधारों के प्रभाव का अध्ययन करेगी और इसके विकास को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक समस्याओं की पहचान करेगी; क्षेत्र को वित्त की समय पर और पर्याप्त

आरबीआई कहता है

रिजर्व बैंक की जन जागरूकता पहल के एक भाग के रूप में, संचार विभाग ने सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले प्रसिद्ध मनोरंजक कार्यक्रम 'कौन बनेगा करोडपति' (केबीसी) के दौरान तीन फिल्में प्रसारित की। चरित्रों का अभिनय करनेवाले पात्र रिजर्व बैंक के कर्मचारी हैं और यह फिल्म यु ट्यूब पर देखे जाने हेतु उपलब्ध है। 'सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग अनुभव के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं' पर दो फिल्म तथा एक बेसिक सेविंग बैंक डिपाजिट एकांउट (बीएसबीडीए) पर थी। शो के एंकर अमिताभ बच्चन ने भी केबीसी के नवीनतम सीज़न के दौरान व्यक्तिगत रूप से संदेश दिए।

उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करेगी; एमएसएमई के संबंध में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करेगी और जहां भी उपयुक्त हो, भारत में इसके अपनाने की संस्तुति करेगी; मौजूदा एमएसएमई संकेंद्रित नीतियों और क्षेत्र पर उनके प्रभाव की समीक्षा करेगी; क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के उपाय प्रस्तावित करेगी; एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक उपाय प्रस्तावित करेगी।विशेषज्ञ समिति जून 2019 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45898)

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई के संरचनात्मक बाधाओं और कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। इसलिए, यह आवश्यक माना गया है कि एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए, कारणों की पहचान करने और दीर्घकालिक समाधान देने के लिए एक व्यापक समीक्षा की जाए।

डिजिटल भुगतानों के विस्तार पर समिति

भुगतानों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 जनवरी 2019 को श्री नंदन नीलकेणी, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतानों के विस्तार पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री एच.आर. खान, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री किशोर सांसी, पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विजया बैंक, श्रीमती अरुणा शर्मा,पूर्व सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और इस्पात मंत्रालय और श्री संजय जैन, मुख्य नवोन्मेष अधिकारी, नवोन्मेष, इन्क्यूबेशन तथा उद्यमिता केंद्र (सीआईआईई), आईआईएम, अहमदाबाद। उच्च स्तरीय समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि वह देश में भुगतानों के डिजिटलीकरण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगी, पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान अंतरालों की पहचान करेगी और इन्हें पाटने के तरीकों का सुझाव देगी; वित्तीय समावेशन में डिजिटल भुगतानों के वर्तमान स्तरों का आकलन करेगी; डिजिटल भुगतानों के अधिक उपयोग के जरिए अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन में डिजिटलीकरण को तेज करने के लिए हमारे देश में अपनाई जा सकने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान करने की दृष्टि से अन्य देशों का विश्लेषण करेगी; डिजिटल भुगतानों के बचाव और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपायों का सुझाव देगी; डिजिटल पद्धतियों के जरिए वित्तीय सेवाएं प्राप्त करते हुए ग्राहक विश्वास और भरोसा बढ़ाने के लिए रूपरेखा उपलब्ध करेगी। समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 3 माह की अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45949)

सर्वेक्षण

भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने 28 जनवरी 2019 को अपनी वेबसाइट पर भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण के 12वें दौर के परिणाम जारी किए जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 को कवर किया गया है।

मुख्य अंश:

नवीनतम सर्वेक्षण दौर में प्रतिक्रिया देने वाले 877 भारतीय संस्थाओं में से, 334 ने 620 विदेशी तकनीकी सहयोग(एफटीसी) करारों की सूचना दी। इन 334 कंपनियों में से, 206 विदेशी सहायक संस्थाएं (बहु इक्विटी धारण वाली एकल निवेशक) थी और 83 विदेशी सहयोगी संस्थाएं (विदेशी निवेशकों की इक्विटी होल्डिंग 10-50 प्रतिशत के बीच थी)। इस प्रकार, एफटीसी कंपनियों के एक भारी बहुमत में भी विदेशी वित्तीय सहयोग था। केवल 8 कंपनियों में पूरी तरह तकनीकी सहयोग था। संयोगवश, 334 एफटीसी कंपनियों में से 189 कंपनियां पिछले सर्वेक्षण दौर के समय की थी 145 कंपनियां इस प्रतिदर्श में नई थी।

रिपोर्ट किए गए एफटीसी करारों का 80 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में था जहां मोटर वाहनों, परिवहन, मशीनरी और अन्य उपस्कर, रसायन और रसायन उत्पादों की प्रमुख हिस्सेदारी थी। पिछले सर्वेक्षण दौर की तुलना में, निर्माण क्षेत्र में ऐसे करार में वृद्धि हुई, जिसकी कुल आउटपुट में हिस्सेदारी बढ़ रही है। एफटीसी करारों में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी निरंतर रूप से अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी से बहुत कम रही ।

प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए स्रोत देश के मामले में, जापान की हिस्सेदारी एफटीसी करारों का लगभग एक तिहाई रही जिसके बाद अमेरिका और जर्मनी रहे। इन तीनों भागीदार देशों की साथ मिलकर हिस्सेदारी लगभग रिपोर्ट किए गए एफटीसी करारों का लगभग 60 प्रतिशत रही। यूके, इटली, कोरिया गणराज्य और स्विट्जरलैंड अन्य देश थे जिनका कुल तकनीकी सहयोग में महत्वपूर्ण शेयर था।

विदेशी सहयोगी द्वारा एफटीसी करार के दो-तिहाई से अधिक में नो-हॉउ अंतरण और अन्य 11 प्रतिशत में ट्रेड-मार्क / ब्रांड नामों का इस्तेमाल शामिल था। लगभग आधे एफटीसी रॉयल्टी भुगतान के लिए प्रदान किए गए और कुछ के अंतर एकमुश्त तकनीकी शुल्क के लिए अतिरिक्त खंड भी था। रिपोर्ट किए गए केवल 16 प्रतिशत संविदाएं पूरी तरह एकमुश्त तकनीकी फीस भुगतान पर आधारित थे।

निर्यात प्रतिबंध खंड विदेशी सहयोगी द्वारा एफटीसी में आमतौर पर अपने खुद के बाजारों की रक्षा के इरादे से लिखा जाता है। दूसरी ओर, स्थानीय सहयोगी इस करार के तहत हस्तांतरित संपत्ति पर विशिष्ट अधिकारों का प्रावधान शामिल करते हैं ताकि विदेशी सहयोगी द्वारा ऐसी आस्ति को किसी अन्य स्थानीय पार्टी में स्थानांतरित करने से रोका जा सकें। समग्र स्तर पर रिपोर्ट किए गए एफटीसी करारों में लगभग 32 प्रतिशत में निर्यात प्रतिबंध खंड थे तथा लगभग 37 प्रतिशत में करारों के अंतर्गत हस्तांतरित की गई आस्तियों पर विशेष अधिकारों के प्रावधान थे।

विनिर्माण क्षेत्र के एक तिहाई से अधिक रिपोर्ट किए गए एफटीसी करारों में निर्यात प्रतिबंध खंड थे, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए यह 10 प्रतिशत से भी कम था। विनिर्माण क्षेत्र में, निर्यात-सघन रबर और प्लास्टिक, मिलावटी धातुयी उत्पादों, मोटर वाहनों, मशीनरी और उपस्कर क्षेत्रों में निर्यात प्रतिबंध के कम खंड थे। जापान के मामले में, जो सबसे बड़ा सहयोगकर्ता देश था, लगभग 43 करारों में निर्यात प्रतिबंध खंड थे।

मिन्ट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम) सं. 17

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2019 को अपनी वेबसाइट पर 'मिन्ट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम)' श्रृंखला के अंतर्गत ''भारत के चालू खाता घाटे, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे पर कच्चे तेल की कीमत के झटकों का प्रभाव'' शीर्षक से सतरहवां प्रकाशन उपलब्ध कराया है। यह पेपर सौरभ घोष और शेखर तोमर ,कार्यनीतिक अनुसंधान यूनिट (एसआरयू) के क्रमश: निदेशक और प्रबंधक (अनुसंधान) द्वारा लिखा गया है।

भारत के तीन समष्टि-स्थिरता सूचकों चालू खाता घाटा (सीएडी), मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे पर कच्चे तेल की कीमत के झटकों के मात्रात्मक प्रभावों को दिखाता है। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45927)

प्रतिदर्श में एफटीसी रिपोर्टिंग कंपनियों के उत्पादन का कुल मूल्य 2017-18 में 13.8 प्रतिशत बढ़कर 5,317 बिलियन हो गया जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है।

विनिर्माण क्षेत्र की अगुवाई में, एफटीसी रिपोर्टिंग कंपनियों के निर्यात और आयात में 2017-18 में क्रमश 10.5 प्रतिशत और 28.3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। समग्र स्तर पर, उत्पादन के मूल्य पर आयात और निर्यात का अनुपात क्रमश: 13.8 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत रहा जिसमें अंतर-क्षेत्रीय परिवर्तन बहुत ज्यादा था।

एफटीसी रिपोर्टिंग कंपनियों की औसत लाभप्रदता जो लगाई गई पूंजी की तुलना में सकल लाभ के अनुपात द्वारा मापी गई, में नरमी आई जब इसकी तुलना पिछले दो सर्वेक्षण दौरों से की गई। (https://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=46121)

ओबीआईसीयूएस-तिमाही सर्वेक्षण-2018-19

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 जनवरी 2019 को अपनी आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) का 44वां दौर शुरू किया। यह सर्वेक्षण अक्टूबर-दिसंबर 2018 (2018-19 की तीसरी तिमाही) की संदर्भ अवधि के लिए है। रिज़र्व बैंक विनिर्माण क्षेत्र की आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण 2008 से तिमाही आधार पर आयोजित करा रहा है। इस सर्वेक्षण में प्राप्त की जाने वाली सूचना में संदर्भ तिमाही के दौरान प्राप्त किए गए नए आदेशों, तिमाही की शुरुआत में आदेशों का बैकलॉग, तिमाही के अंत में लंबित आदेशों, तिमाही के अंत में प्रक्रियाधीन और तैयार माल की सूची के ब्यौरों के साथ कुल सूची और लक्षित समूह की संस्थापित क्षमता की तुलना में तिमाही के दौरान मात्रा और मूल्य के लिहाज से मद-वार उत्पादन पर मात्रात्मक आंकड़े शामिल हैं। इन प्रतिक्रियाओं से क्षमता उपयोग के स्तर का अनुमान लगाया जाता है। यह सर्वेक्षण मौद्रिक नीति निर्माण में रिज़र्व बैंक को उल्लेखनीय इनपुट उपलब्ध कराता है।सर्वेक्षण के निष्कर्षों को बैंक की वेबसाइट पर नियमित आधार पर जारी किया जाता है। कंपनी स्तरीय आंकड़े गोपनीय रखे जाते हैं और इन्हें कभी भी प्रकट नहीं किया जाता है। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45953)

डेटा रिलीज

विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों की गणना

भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जनवरी 2019 को उन भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक गणना के 2017-18 के दौर के अनंतिम परिणाम जारी किए जिनके पास भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और / या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) के कारण होने वाली सीमा पार की देनदारियां और परिसंपत्तियां हैं। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्ननुसार हैं :-

लगभग 96 प्रतिशत प्रतिक्रिया देनेवाली कंपनियां सूचीबद्ध नहीं थी और सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना में गैरसूचीबद्ध कंपनियों में एफडीआई इक्विटी पूंजी का हिस्सा अधिक था, ओडीआई कंपनियों की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से कम थी।

कुल एफडीआई कंपनियों में से गैर-वित्तीय एफडीआई कंपनियां 95 प्रतिशत से अधिक थी और इन्होंने वित्तीय एफडीआई कंपनियों की तुलना में उच्चतर विदेशी इक्विटी सहभागिता रिपोर्ट की।

वर्ष 2017-18 के दौरान एफडीआई निवेश ₹4,333 बिलियन तक बढ़ गया जिसमें पिछले निवेशों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है और यह मार्च 2018 में बाजार मूल्य पर ₹28,246 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि दूसरी तरफ ओडीआई का बाजार मूल्य ₹252 बिलियन तक बढ़कर यह ₹5,280 बिलियन हो गया।

बाजार मूल्य पर जावक प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में आवक निवेश का अनुपात पिछले वर्ष के 4.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में 5.3 प्रतिशत हो गया। एफडीआई की इक्विटी सहभागिता 95 प्रतिशत और ओडीआई की 76 प्रतिशत रही।

एफडीआई कंपनियों की अन्य निवेश देनदारियों में काफी वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण ट्रेड क्रेडिट में वृद्धि होना था। मॉरीशस भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा (बाजार मूल्य पर 19.7 प्रतिशत हिस्सेदारी) जिसके बाद यूएसए, यूके, सिंगापुर और जापान रहे। भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए समुद्रपारीय निवेश में, सिंगापुर (बाजार मूल्य पर 17.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी) प्रमुख देश रहा जिसके बाद नीदरलैंड, मॉरीशस और यूएसए रहे।

विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख हिस्सेदारी कुल एफडीआई में बाजार मूल्य पर थी, 'सूचना और संचार सेवाएं' तथा 'वित्तीय और बीमा गतिविधियां' एफडीआई के अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ता क्षेत्र रहे।

भारत में विदेशी सहायक संस्थाओं की निर्यात सहित कुल बिक्री वर्ष 2017-18 के दौरान 11.8 प्रतिशत तक बढ़ी, आयात सहित खरीद की वृद्धि 18.2 प्रतिशत पर उच्चतर थी।

भारत में विदेशी सहायक संस्थाओं की कुल बिक्री का 31 प्रतिशत निर्यात के रूप में था जबकि उनकी खरीद में आयात की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत पर उच्चतर रही।

भारतीय कंपनियों की समुद्रपारीय सहायक संस्थाओं के मामले में, वर्ष 2017-18 के दौरान निर्यात की हिस्सेदारी कुल बिक्री का 37 प्रतिशत रही जबकि आयात की हिस्सेदारी उनकी कुल खरीद की 63 प्रतिशत रही।

भारतीय कंपनियों की समुद्रपारीय सहायक संस्थाओं के बिक्री की तुलना में खरीद अनुपात भारत में विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में 63.2 प्रतिशत की तुलना में 83.3 प्रतिशत रहा जो उनके गतिविधि संकेंद्रण क्षेत्रों और मूल्य संवर्धन पैटर्न में विचलन दर्शाता है। (https://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?Id=18774)

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बेसिक सांख्यिकी रिटर्न्स

रिज़र्व बैंक ने 3 जनवरी 2019 को वेब प्रकाशन भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बेसिक सांख्यिकी रिटर्न्स -खंड 47 जारी किया। वेब प्रकाशन इंडियन इकोनॉमी पर डेटाबेस (डीबीआइई) पोर्टल (वेब-लिंक:https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications#!9) पर अपने डेटा बेस में जारी किया गया। इसमें बेसिक सांख्यिकीय रिटर्न्स (बीएसआर) 1 और 2 के माध्यम से शाखा स्तर पर एकत्र किए गए डेटा के आधार पर बैंक जमा राशियों की विभिन्न विशेषताओं और ऋण के संबंध में वार्षिक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

बीएसआर-1 में खाते का प्रकार, उधारकर्ता का व्यवसाय/उसके कार्य-कलाप, ऋण के उपयोग में लाए जाने के स्थान, जिले और आबादी समूह, ब्याज की दरों, ऋण सीमा तथा बकाया रकम के बारे में जानकारी संकलित की जाती है।

बैंकों द्वारा बीएसआर-2 में जमा राशियों के प्रकार, सावधि जमाराशियों की परिपक्वता की प्रवृत्ति और साथ ही कर्मचारियों की संख्या के संबंध में शाखावार डेटा रिपोर्ट किए जाते हैं। (https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45909)

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।